

कार्यालय भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक विज्ञप्ति

राजस्थान की औद्योगिक नगरी कार्यालय भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) भिवाड़ी द्वारा दिनांक 07.02.2020 को प्रातः 11.00 बजे आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड/दुकानों की 99 वर्षीय लीज होल्ड बेसिस पर नीलामी की जानी प्रस्तावित हैं। नीलामी कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	अमानत राशि	न्यूनतम वि० मू० प्रति वर्ग मी०
आवासीय भूखण्ड					
1	सैक्टर नं० 1	672, 673	160.00 वर्ग मी०	200000.00	28000.00
2	सैक्टर नं० 2	1, 447, 448	200.00 वर्ग मी०	200000.00	32000.00
		54	160 वर्ग मी०	200000.00	28000.00
3	सैक्टर नं० 3	46, 54	72 वर्ग मी०	100000.00	30000.00
		83, 84	60 वर्ग मी०	100000.00	30000.00
4	सैक्टर नं० 6	289, 291, 292, 302 डी	48 वर्ग मी०	100000.00	32000.00
		3	200 वर्ग मी०	200000.00	32000.00
5	भगत सिंह कॉलोनी	ब्लॉक डी :- 132	111.11 वर्गगज	100000.00	25000.00
		ब्लॉक डी :- 15	311.11 वर्गगज	200000.00	40000.00
		ब्लॉक ए :- 15	311.11 वर्गगज	200000.00	40000.00

व्यवसायिक भूखण्ड					
1	भगत सिंह कॉलोनी (ब्लॉक - ए)	ए-49ए, ए-49बी	41.80 वर्ग मी०	100000.00	90000.00
2	सैक्टर नं० 06	61, 62	18 वर्ग मी०	100000.00	100000.00

नीलामी की शर्त:-

- भूखण्ड 99 वर्षीय लीज होल्ड बेसिस पर नीलाम किये जाएंगे।
- प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली लगाने से पूर्व पैनकार्ड की स्व० प्रमाणित फोटोप्रति पेश करनी होगी।
- 117 वर्गमीटर तक आवासीय/लघु व्यवसायिक दुकाने (50 वर्ग मी० तक) भूखण्ड की अमानत राशि 100000/- रुपये एवं 117 वर्गमीटर से अधिक आवासीय भूखण्ड की अमानत राशि 200000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा भिवाड़ी के नाम प्रस्तुत करने या नकद राशि (शाखा ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बीडा परिसर) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड से जमा कराने के पश्चात बोली लगाने का हकदार होगा। नीलामी समाप्त होने पर सफल बोलीदाता के अलावा अन्य सभी बोली लगाने वालों की अमानत राशि का ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा। डेबिट/क्रेडिट कार्ड से जमा अमानत राशि 7 कार्य दिवस में ऑनलाईन खाते में हस्तान्तरण (रिफण्ड) कर दी जावेगी।
- बोली 100/- रुपये के गुणक में लगानी होगी।

05. भूखण्ड की 15 प्रतिशत राशि नीलामी तिथी से 3 कार्य दिवस में जमा करानी होगी।
06. 35 प्रतिशत राशि, 2 प्रतिशत कमीशन शुल्क, साईट, प्लान शुल्क व बी.एस.यू.पी. शुल्क के साथ नीलामी की तिथी से 120 दिनों में जमा करानी होगी। शेष 50 प्रतिशत राशि नीलामी की दिनांक से 180 दिनों के भीतर जमा करानी होगी।
07. यदि सफल बोलीदाता डिमाण्ड नोट की तिथी से 15 दिवस के अन्दर पूरी राशि जमा कराता है तो उसे बोली की राशि में 1 प्रतिशत की छूटी दी जाएगी।
08. भूखण्ड की माप मौके के अनुसार कम या अधिक हो सकती है, जो भी माप, साईज व सम्पति जैसी है मौके के अनुसार होगी व खरीददार को मान्य होगी।
09. नीलामी में बोली लगाने से पूर्व मौके पर भूखण्ड को देख कर बोली लगावें। एक बार नीलामी /बोली छुटने के पश्चात कोई उज्र मान्य नहीं होगा।
10. क्रेता को स्वयं उपस्थित होकर बोली लगाना अनिवार्य है यदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम बोली लगाई जाती है तो बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उस व्यक्ति का अधिकार पत्र न्यूनतम 100/- स्टाम्प पेपर (नोटरी से प्रमाणित) पेश करने के पश्चात ही बोली लगाने का हकदार होगा। एक भूखण्ड के लिए एक अधिकार पत्र मान्य होगा, कोई फोटो प्रति मान्य नहीं होगी।
11. राज्य सरकार से प्राप्त आदेशानुसार बीएसयूपी (शैल्टरफण्ड) के अन्तर्गत 300 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड पर 10/- रुपये प्रति वर्गमीटर अलग से देय होगा।
12. अन्य जानकारी के आवंटन शाखा बीडा भिवाडी से सम्पर्क करें। जिसका दूरभाष नं0 01493 222819

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बीडा भिवाडी